



राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान

(संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान)

Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology

(An Institution of National Importance established under an Act of Parliament)

Jais, Amethi- 229304, UP, India. Website: www.rgipt.ac.in

विद्यारत्नम् महोदयम्

संदर्भ-आरजीआईपीटी/जायस/प्रशा./...253.../2025

27-05-2025

अधिसूचना

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संस्थान छात्रावासों में मौजूद को अधिशेष / अप्रचलित / अप्रयोज्य सामग्री के निपटान हेतु एक 'अधिशेष/अप्रचलित/अप्रयोज्य सामग्री निपटान समिति' गठित की गई है।

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

1. डॉ. कौशिक गुहा विश्वास	अध्यक्ष
2. डॉ. पियूष सरकार	सदस्य
3. डॉ. अरविन्द सिंह	सदस्य
4. डॉ. विजय कुमार सिंह	सदस्य
5. श्री हरीश कुमार यादव	सदस्य
6. श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा	सदस्य
7. श्री राकेश सिंह	सदस्य सचिव

समिति कबाड़ वस्तुओं की पहचान करने, उचित पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा संस्थान के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रैप के सुरक्षित निपटान के लिए अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

जितेंद्र प्रसाद
(कुलसचिव)

प्रतिलिपि:

1. सभी समिति सदस्य
2. अध्यक्ष-छात्रावास परिषद
3. निदेशक के सचिव

(कुलसचिव)



राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान
(संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान)
Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology
(An Institution of National Importance established under an Act of Parliament)
Jais, Amethi- 229304, UP, India. Website: www.rgipt.ac.in

Ref: RGIPT/Jais/Admin/---²⁵³/2025

May 27 2025

NOTIFICATION

It is hereby notified that a 'Scrap Disposal Committee' has been constituted for disposal of scrap items at Hostel's premises.

The Committee will consist of the following members:

1. Dr. Kaushik Guha Biswas	Chairperson
2. Dr. Piyush Sarkar	Member
3. Dr. Arvind Singh	Member
4. Dr. Vijay Kumar Singh	Member
5. Shri Harish Kumar Yadav	Member
6. Shri Rajesh Kumar Vishwakarma	Member
7. Shri Rakesh Singh	Member Secretary

The committee will be responsible for identifying scrap items, ensuring proper segregation and coordinating with authorities for safe disposal of scrap as per laid down guidelines of the Institute.

It is issued with the approval of the Competent Authority.


(Registrar)

Copy to:

1. All committee members
2. Chairman Council of Warden
3. Secretary to the Director


(Registrar)